प्रेषक,

संख्या: 340/12-5-2015-29/2015

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5: लखनऊ : दिनांक: 23 मार्च, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला संगठन योजना के व्यय को वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0(1)037/पुनर्विनियोग /2014-15, दिनांक 02 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में 05 जिला संगठन योजना में वेतन एवं मंहगाई भत्ता मानक मद के व्यय को वहन करने हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 23500 हजार मात्र (रू0 दो करोड. पैतीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा

Shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय द्वारा बनाया जायेगा । इस देयक पर कृषि निदेशक, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाये । जहॉ तक सम्भव हों व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये ।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-001 निदेशन तथा प्रशासन- 05-जिला संगठन योजना -01-वेतन-03 मंहगाई भत्ता- के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2015 द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीया,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 340(1)/12-5-2015 , तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

Shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

2- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव

Shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 340/12-5-2015-29/2015 दिनांक 23.03.2015

का संलग्नक

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम: 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) **वित्तीय वर्ष 2014-15**

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-11					
2401001030300					
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर					
103-बीज					
03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र					
01-वेतन	71370	10500	10500	10500	60870
03-मंहगाई भत्ता	74938	13000	13000	13000	61938
कुल योग	146308	23500	23500	23500	122808

Shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-11					
2401000010500					
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर					
001-निदेशन तथा प्रशासन					
05-जिला संगठन योजना					
01-वेतन	320770	331770	11000	11000	331770
03-मंहगाई भत्ता	326999	339499	12500	12500	339499
	647769	671269	23500	23500	671269

(रू0 दो करोड. पैतीस लाख मात्र)

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से हैं :-

अ-वेतन एवं मंहगाई भत्ते की मद में वास्तविक मॉग के आधार पर बचत है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- वास्तविक मॉग के आधार पर एवं आवश्यकता से कम धनराशि की व्यवस्था होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है ।

Shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है ।

संख्या: आरई/430/ई- /दस-2015 दिनांक 19 मार्च, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

प्रशासकीय विभाग **वित्त विभाग**

(मंजू लता सिंह) **(अवनिश चन्द्र द्विवेदी)**

अनुसचिव, **उप सचिव,**

कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन । **वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।**

Shasanadesh.up.nic.in